

भारत सरकार  
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 2185  
बुधवार, दिनांक 12 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

सौर पंपों की स्थापना के लिए मानदंड

2185. श्री राजकुमार रोट: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) के अंतर्गत किसानों के खेतों और बंजर भूमि पर सौर पंप लगाने के लिए क्या मापदंड हैं;
- (ख) केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा पीएम-कुसुम के अंतर्गत प्रदान की गई राजसहायता का ब्यौरा क्या है; और
- (ग) राजस्थान में पीएम-कुसुम के अंतर्गत कितने किसानों के खेतों और बंजर भूमि पर सौर पंप लगाए गए हैं और उनका जिला-वार तथा विशेष रूप से बांसवाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर  
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत राज्य मंत्री  
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

- (क) और (ख): पीएम-कुसुम एक मांग आधारित योजना है और इसलिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त मांगों के आधार पर पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत क्षमताएं आवंटित की जाती हैं। योजना के घटक-ख के अंतर्गत, व्यक्तिगत किसान, क्लस्टर सिंचाई प्रणालियां, जल उपयोगकर्ता संघ (डब्ल्यूए), किसान उत्पादक संघ (एफपीओ), प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियां (पीसीएएस) स्टैंडअलोन सौर पंप स्थापित कर सकती हैं। लाभार्थी के चयन और कार्यान्वयन की जिम्मेवारी राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों (एसआईए) की है।

पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत प्रदान किए गए सीएफए का विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।

- (ग) एसआईए द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, दिनांक 28.03.2025 की स्थिति के अनुसार, पीएम कुसुम के अंतर्गत राजस्थान राज्य में किसानों के खेतों में 96,731 सौर पंप स्थापित किए गए हैं।

बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र सहित, जिला-वार विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है।

‘सौर पंपों की स्थापना के लिए मानदंड’ के संबंध में पूछे गए दिनांक 12.03.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2185 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-1

पीएम-कुसुम योजना के अंतर्गत सीएफए का विवरण

घटकलक्ष्य और मानदंड ,	उपलब्ध वित्तीय सहायता
घटक-क	डिस्कॉमों को पांच वर्षों के लिए 40 पैसे/किलोवाट घंटे या 6.60 लाख रु./मेगावाट/वर्ष, जो भी कम हो, की दर से खरीद आधारित प्रोत्साहन (पीबीआई) प्रदान किया जाता है। इस घटक के तहत कोई सीएफए नहीं है।
घटक-ख	<ul style="list-style-type: none"> <li>एमएआरई द्वारा जारी बेंचमार्क लागत का 30% या निविदा से प्राप्त प्रणालियों का मूल्य, जो भी कम हो, सीएफए प्रदान किया जाता है।</li> </ul>
घटक-ग (व्यक्तिगत पंप सौरीकरण)	<ul style="list-style-type: none"> <li>तथापि, सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, लक्षद्वीप और अंडमान एवं नीकोबार द्वीपसमूहों में एमएनआरई द्वारा जारी बेंचमार्क लागत का 50% या निविदा से प्राप्त प्रणालियों का मूल्य, जो भी कम हो, सीएफए प्रदान किया जाता है।</li> <li>इसके अतिरिक्त, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को कम से कम 30% वित्तीय सहायता प्रदान करनी होती है। लाभार्थियों द्वारा शेष लागत का वहन करना होता है।</li> </ul>
घटक-ग (फीडर स्तरीय सौरीकरण)	कृषि फीडर सौरीकरण के लिए, 1.05 करोड़ रु. प्रति मेगावाट का सीएफए प्रदान किया जाता है। भाग लेने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से वित्तीय सहायता की अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। फीडर सौरीकरण कैपेक्स या रेस्को मोड में कार्यान्वित किया जा सकता है।

अनुलग्नक-II

‘सौर पंपों की स्थापना के लिए मानदंड’ के संबंध में पूछे गए दिनांक 12.03.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2185 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II

क. राजस्थान में पीएम कुसुम के अंतर्गत जिला-वार स्थापित सौर पंप सेट (दिनांक 28.02.2025 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	जिले का नाम	स्थापित सौर पंप
1	अजमेर	2953
2	अलवर	1174
3	बालोतरा	78
4	बांसवाड़ा	901
5	बारां	449
6	बाड़मेर	1227
7	ब्यावर	221
8	भरतपुर	361
9	भीलवाड़ा	3926
10	बीकानेर	6534
11	बूंदी	2827
12	चित्तौड़गढ़	1971
13	चुरू	9588
14	दौसा	862
15	डीडवाना-कुचामन	38
16	डीग	70
17	धौलपुर	336
18	झुंजरपुर	639
19	हनुमानगढ़	4375
20	जयपुर	12794
21	जैसलमेर	4794
22	जालौर	4281
23	झालावाड़	206
24	झुंझुनूं	2466
25	जोधपुर	321
26	करोली	391
27	खैरथल-तिजारा	21
28	कोटा	259
29	कोटपूतली-बहरोड़	111
30	नागौर	1943
31	पाली	1141
32	फलोदी	62
33	प्रतापगढ़	893
34	राजसमंद	963

35	सलूमबर	1274
36	सवाई माधोपुर	1896
37	सीकर	3879
38	सिरोही	2724
39	श्रीगंगानगर	10403
40	टोंक	4951
41	उदयपुर	2428
	कुल	96731

ख. बांसवाड़ा-इंगरपुर संसदीय क्षेत्र में स्थापित सौर पंप (ब्लॉक-वार) (दिनांक 28.02.2025 की स्थिति के अनुसार)

संसदीय क्षेत्र का नाम	जिला	ब्लॉक	स्थापित सौर पंप
बांसवाड़ा - इंगरपुर	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	62
		गढ़ी	37
		अर्थुना	43
		तलवाड़ा	44
		घाटोल	206
		आनंदपुरी	43
		छोटी सरवन	21
		बागीदौरा	108
		गंगाड़ तलाई	85
		कुशलगढ़	61
		सज्जनगढ़	191
	जिले का कुल		901
	इंगरपुर	इंगरपुर	41
		बिछिवाड़ा	24
		झोथरी	35
		सीमलवाड़ा	38
		चिखली	292
		गेलियाकोट	40
		सागवाड़ा	22
		आसपुर	27
		सबला	39
दोवड़ा		81	
जिले का कुल		639	
प्रतापगढ़	पीपलखुट	106	
स्थापित पंपों की कुल संख्या			1646

\*\*\*\*\*